पत्रांक-2/यो0-5024/2015-

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन),बिहार,पटना।

अनौपचारिक रूप से आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
(ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ पटना ।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- केन्द्रीय प्रायेजित योजना Umbrella Scheme of Skill Development Mission-General and Sub scheme of National career Service Project (Mission Mode Project for Employment Exchanges) के तहत ₹ 34,79,500 (रूपये चौतिंस लाख उन्यासी हजार पॉच सौ) के व्यय पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय,पटना में **" मॉडल कैरियर सेन्टर "** की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- **स्वीकृत** ।

महाशय,

केन्द्रीय प्रायोजित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 34,79,500 (रूपये चौतिंस लाख उन्यासी हजार पॉच सौ)मात्र के व्यय पर वित्त विभाग के पत्रांक-ब-17/बी0एस0जी0-300/2015-1047/वि0 दिनांक-16.12.2015 के प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना में मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि तथा उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा career counseling आजीविका परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण का मार्ग चुना गया है। इसके लिए रोजगार कार्यालयों को आजीविका केन्द्रों का रूप एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को नया स्वरूप दिया जाना है जिससे उद्योगों की जरूरतों के अनुसार बेरोजगार युवक-युवतियों का कौशल निर्माण किया जा सके । इस योजना के माघ्यम से कॉउसलिंग केन्द्रों और प्रशिक्षण संस्थानों के तालमेल भी उद्योग जगत से बढ़ाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि उनमें परस्पर सार्थक और फलदायक संबंध स्थापित हो सके। सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय रोजगार नीति विकसित किया जा सके । राष्ट्रीय आजीविका सेवा (National career Service) के सहयोग के लिए एक आधुनिक तकनीक आधारित ढ़ाचे की संकल्पना की जा रही है, जो रोजगार एक्सचेंज का स्थान ले सके। उक्त क्रम में ही अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना में आदर्श आजीविका केन्द्र (**मॉडल कैरियर सेन्टर**) की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।

मॉडल कैरियर सेन्टर के स्थापना से शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शकों एवं युवा पेशेवरों (Young Professionals) से कैरियर निर्माण, ,व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आधुनिक तकनीकि के माधयम से महानिदेशालय, रोजगार सेवाऐं भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रदान किया जाना है।

इस योजना से रिसेप्शन/रजिस्ट्रेशन डेस्क के लिए एल0सी0डी0 डिसप्ले, कम्प्यूटर, चेयर, टेबुल, मल्टी फंक्शंस डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर, वाटर कूलर, दूरभाष इत्यादि के क्रय तथा विशेषज्ञों के मानदेय पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित मॉडल कॅरियर सेंटर के भवन के निर्मित क्षेत्र के फ्लोरिंग रिपयेरिंग, फर्निशिंग, इंस्टॉलिंग इत्यादि पर एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय किया जायेगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष-''2230-श्रम तथा रोजगार उपमुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष-003-शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग सं0-26, उप शीर्ष-0233-''**कौशल विकास मिशन**'', विपत्र कोड संख्या-पी0-2230030030233 पी0एफ0एम0एस0 कोड 9173 में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विकलनीय होगा ।

P.T.O

इस राशि का आवंटन निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा दिया जायेगा। विभागी स्थीय वित्त समिति की दिनांक-18.01.2016 को बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में यह प्रशासनिक स्वीकृति दी : रही है।

4. इस योजना हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹ 20,87,700.00 (रूपये बीस लाख सतासी हज सात सौ)मात्र का राशि राज्य सरकार के खाते में केडिट किया गया है जिसके विरूध (In round figure में रूपये 20,87,500.00 (रूपये बीस लाख सतासी हजार पॉच सौ)मात्र योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015-1 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी से इस कार्य हेतु उपलब्ध है।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना (नोडल पदाधिकारी) द्वारा किया जायेगा।
7. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्तीय नियमावली-2005 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश/ निदेशों के अनुरूप की जायेगी।
8. प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति पृ0-8./टि0 पर प्राप्त है ।
10. प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-8./टि0 पर प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0/
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5024 /2015- पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार पटना /उप निदेशक (नियोजन), पटना प्रमण्डल, पटना /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह- सहायक निदेशक (नियोजन), अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

ह0/
विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो05024-/2015- 174 पटना-15, दिनांक- 03.02.16

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार,पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, रोजगार कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण 3/10 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।